न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
कंचनबाई बनाम राज.सरकार
GCMS No- 2022/690
प्रकरण संख्या 234 / 2022

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 234 / 2022
जीसीएमएस न0 2022 / 690

1. श्रीमति कंचनबाई बेवा बगदीराम जी खटीक निवासी बापुबस्ती निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

............प्रार्थीया

बनाम

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०
2. श्री गोकुल पिता नंदा जी काछी निवासी केली तहसील निम्बाहेड़ा राज.।

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री रामचंद्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री शम्भुलाल तेली – अधिवक्ता विपक्षी 2

दिनांक 18.07.2024

:: निर्णय ::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 601 रकबा 1.2000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 594 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर स्थित है। शुरू से प्रार्थीया के पास दोनों साबिक आनराजियात की भूमि होकर कब्जे काश्त तथा उपयोग उपभोग करती चली आ रही है।

2. उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीया के तथा अन्य पड़ोसी खातेदारों के मौके पर अलग अलग खेत होकर बिना किसी बाधा के काश्त कर रहे हैं। अभी हाल ही क वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भू–प्रबंध विभाग कोटा राज. के द्वारा जो पेमाईश करायी गयी थी। उसके बाद उक्त साबिक आराजी नंबर 431 के पूर्वी दिशा की ओर पूराने आराजी नंबर 432 होकर इस आराजी के पूर्व दिशा में नक्शा तिकोना होकर मिल रहा है। इन दोनों आराजियात के दक्षिण दिशा में पुराना आम रास्ता प्रार्थिया की आराजियात के पास स्थित होकर ... के बाद पेमाईश होने के बाद में जहां प्रार्थिया की पुराने नंबर की ... त है उसके उत्तर दिशा में ग्राम केली से निम्बाहेड़ा वाली मुख्य सड़क ... मौके पर वर्तमान के राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज रिकार्ड कर दिया गया ... पर अवस्थित है। प्रार्थीया उसी अनुसार काबिज होकर कात कर रही है, लेकिन जो राजस्व नक्शा ट्रेस पेमाईश के बाद जारी हुआ उसमें प्रार्थीया की आराजीयात के पास ... रास्ते सड़क के मध्य में नया आराजी नम्बर 503, 592 नक्शे में सहवन से गलत दर्ज हो गये। जबकि मौके पर यह आराजी नम्बर मुख्य सड़क निम्बाहेडा से केली वाली के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। मौके पर काबिज है। इन दोनों आराजी नम्बरान को नवीन नक्शा ट्रेस में संहवन से गलत अंकित कर दिया गया है जिनको प्रार्थीया पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सही एवं दुरूस्त कराने की अधिकारी है। राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:24:48 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस में पुराने नम्बर के जगह से नक्शा नया अन्यत्र जगह पर तरमीम कर दिया गया। जिसको पुनः पुर्वानसार पुराने नक्शा अनुरूप ही प्रार्थीया नक्शा ट्रेस में तरमीम कराना चाहती है। प्रार्थना पत्र के साथ में वर्तमान जमाबन्दी की नकल, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित नकल साथ में पेश है। इसलिए प्रार्थीया वर्तमान राजस्व रेकार्ड के नक्शा ट्रेस में पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार मौके की सही एवं वास्तविक स्थिति अनुसार तरमीम कर वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया संशोधन कराये जाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. उक्त राजस्व रेकार्ड के पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार जो अशुद्धि वर्तमान नक्शा ट्रेस पेमाईश के बाद में हो गई उसकी जानकारी पूर्व में प्रार्थीया को नहीं थी. लेकिन अभी हाल ही जब बैंक से ऋण लेने के लिए प्रशासन गाँवों के संग अभियान केम्प केली में 2021 आयोजित हुआ वहाँ आवेदन पत्र पेश करने पर जानकारी हुई की मुझ प्रार्थीया की जमीन के नये नक्शे को गलत तरमीम कर दर्ज रेकार्ड संहवन से हो गया है। इसलिए पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम कराये जाने हेतू आवेदन पेश किया जा रहा है। जिसको सही किया जाना कानुनन रूप से न्यायोचित है। जिससे प्रार्थीया बाद राज्य एवं केन्द्र सरकारी की योजनाओं का लाभ मिल सकें।

4. राजस्व रेकार्ड में के पुराने नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत अंकन हो जाने से उसको पुनः पुर्वानुसार जो आराजी का नक्शा में तरमीम किया गया था उसको वर्तमान नकशा ट्रेस में सही तरमीम कराने हेतु पुराना रेकार्ड. वर्तमान नकल एवं मिलान क्षेत्रफल, पुराना एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस प्रतियों ली गई तथा वर्तमान जमाबन्दी की नकले दिनांक/11/2022 को ली गई। उसके बाद यह प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से न्यायालय आप में पेश है।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी क्रमांक 2 की ओर से अधिवक्ता शम्भुलाल तेली ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की जो निम्नुसार हैः–

I. मौजा केली की हाल आराजी नं. 601 व 594 के साबिक आराजी नं. 431 व 389 मीन होकर हाल में वादिया कंचनबाई के खाते में दर्ज रिकार्ड है।

II. प्रार्थीया द्वारा उसकी हाल आराजी नं. 601 व 594 में उसके साबिक नं. 431 व 389 मीन की तरमीम के मुकाबले अन्तर बताकर वाद पेश किया है। मिलान नक्शा से अन्तर नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:24:48 IST
Reason: SelfAttested

III. प्रार्थीया का कथन है कि हाल आराजी नं. 594 उसकी गत आराजी नं. 431 का ही भाग होना बताया है। मगर मिलान से व हाल नक्शा से होकर कोई अन्तर वाद कथन अनुसार नहीं है।

IV. प्रार्थीया द्वारा स्वयं की आराजी में मिलाये जाने वाले आराजी नं. 592 श्री गोकल पिता नन्दा कांछी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। आराजी नं. 593 रास्ता दर्ज होकर गत व हाल तरमीम में अन्तर नहीं है।

V. मौका पर प्रार्थीया का कब्जा आराजी नं. 594 तथा आराजी नं. 594 व 601 के मध्य आराजी 592 पर कब्जा हैं आराजी नं. 601 पर पूर्व की तरफ नक्शानुसार कब्जा होकर आराजी नं. 601 के पश्चिम की तरफ रकबा लगभग रकबा 0.20 है० व वाद कथन अनुसार आराजी नं. 592 के पश्चिम भाग पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं. है।

VI. हाल नक्शा में तरमीम आराजी नं. 601 का रकबा 1.20 है० तरमीम होकर सही है। आराजी नं. 594 का रकबा भी 0.08 है० सही तरमीम होकर गत रिकार्ड से मिलान होता है। गत व हाल तरमीम में अन्तर नहीं होकर प्रार्थीया मौका कब्जा अनुसार तरमीम चाहती है।

6. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

7. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थनापत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जाना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchioli
Date: 2024.10.10 15:44:48 IST
Reason: SelfAttested

9. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि हाल नक्शा में वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा के आराजी नंबर 601 रकबा 1.20 हैक्टेयर तरमीम होकर सही है। आराजी नंबर 594 रकबा 0.0800 हैक्टेयर सही तरमीम होकर गत रिकॉर्ड से मिलान होता है। गत व हाल तरमीम में अतंर नहीं होने से प्रकरण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
कंचनबाई बनाम राज.सरकार
GCMS No- 2022/690
प्रकरण संख्या 234 / 2022

आदेश

हाल नक्शा में वाके मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा के आराजी नंबर 601 रकबा 1.20 हैक्टेयर तरमीम होकर सही है। आराजी नंबर 594 रकबा 0.0800 हैक्टेयर सही तरमीम होकर गत रिकॉर्ड से मिलान होता है। गत व हाल तरमीम में अतंर नहीं होने से प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:24:48 IST
Reason: SelfAttested